न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—019 / 2018

1 कृष्ण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — प्रार्थी

बनाम

1. रणवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सीताराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. संजय पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. प्रदीप पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. भूपसिंह पुत्र हरपाल जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः—

1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 27.03.2024

प्रार्थी कृष्ण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम आराजी चक नम्बर 10 एफ. टी.पी. जमांबदी सम्वत 2073 ता 76 खाता नम्बर 62, 79, 80 में प्रार्थी की भूमि परिवार के साथ मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा प्रार्थी को उक्त आराजी व ... जाने के लिये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. पत्थर नम्बर 201 / 240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199 / 240 किला नम्बर 6 व 7 प्रत्येक में 1 बिस्वा पुर्व से पश्चिम लम्बा चालू रास्ता प्रयोग कर रहा है। प्रमाणित जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना—पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थी व उसके परिवार को कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थी उपरोक्त किलों में सें चालू रास्ता में आता जाता है उक्त चालू शुदा रास्ता जो पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में मुताबिक बाहमी विभाजन है व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जा काश्त में मुताबिक बाहमी विभाजन है। शेष अप्रार्थीगण औपचारिक पक्षकार हैं उक्त किलों में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग कर रहा है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये कोई नजदीकी रास्ता नही है प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिससे उसे भारी परेशानी व मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है प्रार्थी इन्ही किलों में से होकर अपनें खेत में आता जाता है वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 प्रत्येक में 1 बिस्वा चौडा पूर्व सें पश्चिम लम्बा चालू रास्ता दक्षिण दिशा में स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र 251(क) आर.टी.ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. जमांबदी सम्वत 2073 ता 76 पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 प्रत्येक में 1 बिस्वा चौडा पूर्व सें पश्चिम लम्बा रास्ता दक्षिण दिशा में स्वीकृत किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 व 7 बाद तामील स्वयं या कोई प्लीडर हाजिर अदालत नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 व 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 व 8 ने प्रार्थना–पत्र पर आपति जाहिर करते हुए अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 78/62, 79, 80 में प्रार्थी की भूमि परिवार के साथ संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है लेकिन प्रार्थी ने खाता संख्या 78/62, 79, 80 के सभी काश्तकारान को बतौर अप्रार्थी पक्षकार नही बनाया गया है। सभी काश्तकारान को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र ना चलने काबिल है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के यह तथ्य कि पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6, 7 प्रत्येक मे एक बिश्वा चौडा पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता के तथ्य कतई गलत अंकित किये है। प्रार्थी द्वारा संयुक्त खाता की भूमि जब तक खाता अलग ना हो जाता तब तक संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नही है प्रार्थी द्वारा कतई गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है जो ना चलने के काबिल है। प्रार्थी द्वारा अलग अलग दो मुरब्बा में रास्ता चाहा गया है जो कतई गलत व निराधार है। प्रार्थी द्वारा कौनसी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है अपने प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र में उल्लेख नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 मे रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में कौनसी कृषि भूमि में जाने की आवश्यकता है उल्लेख नही किया है। प्रार्थी द्वारा मुरबा नम्बर 17 के किला नम्बर 21, 22, 23 में भी कम दूरी का रास्ता है कयोकि प्रार्थी की कृषि भूमि मुरबा नम्बर 17 के किला नम्बर 24 व 25. है प्रार्थी द्वारा मुरबा नम्बर 18 के किला नम्बर 22, 23 के काश्तकार को पक्षकार नही बनाया गया है व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 संयुक्त खाता की भूमि है संयुक्त खाता की भूमि में कौनसी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता चाहा गया है अंकित नही किया गया है। मुरबा नम्बर 16 के सभी काश्तकारो को बतौर अप्रार्थी पक्षकार नही बनाया गया है। सभी पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना पत्र ना चलने काबिल है। जब तक संयुक्त खाता की कृषि भूमि अलग नही हो जाती तब तक प्रार्थी संयुक्त खाता की भूमि मे रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मुरबा नम्बर 16 के किला नम्बर 5, 6, 15 उतर से दक्षिण मे स्वीकृत शुदा रास्ता है जो मुरबा नम्बर 16 के काश्तकारों की भूमि से चिपता हुआ है। प्रार्थी ने सही रूप से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नही किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज भूमिं चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 प्रत्येक में 1 बिस्वा चौडा पुर्व से पश्चिम लम्बा चालू रास्ता का प्रयोग कर रहा है। उक्त किलों में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग कर रहा है प्रार्थी उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 78/62, 79, 80 में प्रार्थी की भूमि परिवार के साथ संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है लेकिन प्रार्थी ने खाता संख्या 78/62, 79, 80 के सभी काश्तकारान को बतौर अप्रार्थी पक्षकार नही बनाया गया है। सभी काश्तकारान को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र ना चलने काबिल है तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 के यह तथ्य कि पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6, 7 प्रत्येक मे एक बिश्वा चौड़ा पूर्व से पश्चिम चालू रास्ता के तथ्य कतई गलत अंकित किये है। प्रार्थी द्वारा संयुक्त खाता की भूमि जब तक खाता अलग नही हो जाता तब तक संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है और प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कौनसी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है उल्लेख नही किया है। [illegible] की प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब प्रार्थना–पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि बिना खाता विभाजन करवाये संयुक्त खाता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में दर्ज आराजी में सहकाश्तकारान से रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र व तहसीलदार (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. के पत्थर नम्बर 201/240 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 199/240 किला नम्बर 6 व 7 जो रास्ता चाहा गया है वह भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं बिना खाता विभाजन करवाये व अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के संबध में यह तय हुये बिना कि कौनसी भूमि किस काश्तकार/खातेदार की है रास्ते की मांग किया जाना उचित नहीं है। चुकि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में यह भी स्पष्ट नही है कि प्रार्थी द्वारा कौनसी भूमि में प्रवेश करने के लिये रास्ता चाहा गया है। अतः स्पष्ट न होने से प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner